राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(34)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/ जयपुर, दिनांक

नवीनीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 15/2025–26

विभागीय समसंख्यक स्वीकृति क्रमांक 5965–72 दिनांक 20.09.2024 द्वारा मानसून वर्ष 2024–25 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत हेतु कुल 233 कार्यो हेतु राशि रूपयें 535.50 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विरूद्ध वर्ष 2024–25 में ही करवाये गये उन कार्यो की जिनके बिल जिला कोष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु बिल पास न होने एवं पास बिल वित्त विभाग से ईसीएस न होने से वंचित रहने के कारण लम्बित बिलों का भुगतान वर्ष 2025–26 में किये जाने हेतु **जिला कलक्टर, बारां** द्वारा दिनांक 23.07.2025 को भिजवाई गई सूची अनुसार कुल 80 सड़क कार्यो हेतु **राशि रूपयें 196.56 लाख** की वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपयोग हेतु नवीनीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
106– खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]– [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रू. 147.42 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 49.14 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन जारी की जा रही हैं:–

1. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय पूर्व में जारी स्वीकृति में अंकित शर्तो के अध्यधीन किया जावेगा।
2. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किए जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
4. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।
5. ऑनलाईन मांग पत्र के साथ यह प्रमाणित करे कि यह कार्य वर्ष 2024–25 के स्वीकृत है तथा निर्धारित अवधि में गत वित्तीय वर्ष सम्पादित किये जा चुके है, 31 मार्च 2025 से पूर्व का कार्य पूर्णता का प्रमाण–पत्र सलंग्न करना अनिवार्य है।

(भागवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2025.08.21 14:31:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16836186

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर बारां।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, बारां।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.08.21 14:31:43 IST
Reason: Approved